न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां (भरतपुर)

लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत सोनोखर

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार यादव R.A.S.

मुकदमा नं0. 02/2011 राजस्व वाद

1– पूरन पुत्र ईश्वरीदयाल
2 –रूपसिंह पुत्र गिर्राज सिंह
3– रामसिंह
4– सुखचन्द
5– धनश्याम पिसरान सूरज जातियान प्रजापति निवासी ग्राम गुरगुरिया तहसील कामां जिला भरतपुर

वादीगण

बनाम

1 –करनसिंह
2– जगपत पिसरान कस्तूरचन्द जाति कुम्हार निवासी ग्राम गुरगुरिया तहसील कामां जिला भरतपुर
3–देवीराम पुत्र दामोदर जाति गडरिया निवासी गुरीरा
4– बृजलाल
5– बृजमोहन पिसरान छज्जू जाति गडरिया निवारी गुरीरा
6– हरलाल पुत्र छज्जन जाति गडरिया निवासी गुरीरा
7– रतनी
8– खचेरा
9 –श्यामलाल पिसरान रूपी जाति गडरिया निवासी ग्राम गुरीरा
10 करन पिसरान रूपे जाति गडरिया निवासी गुरगुरीरा तहसील कामां जिला भरतपुर
11.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कामां

– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 R.T. Act

निर्णय

दिनांक 20 06.2018

वादीगण ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा, 188 के तहत इस आशय का पेश किया है कि आराजी ख0नं0 77मिन/0.08 है0 , वाके ग्राम गुरगुरिया तहसील कामां की आराजी मुतदाविया पर 77पहले काफी बडा नम्बर था जो वादी नम्बर तीन लगायत 5 के पिता की खातेदारी का था जिसमें से 11 एयर रकवे को आबादी में रूपान्तरण करा लिया गया तथा कुछ रकवा कामां जुरहरा सडक में चला गया और शेष 0.08 एयर कृषि भूमि के रूप में रहा है जिस पर वादीगण वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है । मुतदाविया रकवा 0.08 एयर जुरहरा कामां सडक से लगता हुआ पश्चिम दिशा में है

जिसको सम्बन्ध नहीं है और ना ही उनका कोई कब्जा है परन्तु आराजी मुतनाजा सडक के सहारे होने के कारण उसको दवाने की नीयत से प्रतिवादीगण वादीगण को बेदखल कर कब्जा नाजायज करना चाहते हैं । प्रतिवादीगण को हुक्म इमतनाई दवामी से पाबन्द किया जावे कि आराजी नम्बर 77 मिन रकवा 0.08 एयर वाके ग्राम गुरगुरिया तहसील कामां में जबरदस्ती नाजायज कब्जा ना करें और वादीगण को बेदखल नहीं करें और किसी प्रकार का ब्यवधान पैदा नहीं करें । व ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससमें वादीगण के अधिकार प्रभावित हों । विधि वजह वादी विरूद्ध प्रतिवादी को बिकी हुक्म इन्तनाई दबामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है ।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जा कर दावा की जबाव देही हेतु प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी उपस्थित अदालत नहीं आये। आज राजस्व लोक अदालत नोटिस जारी किये गये उपस्थित नहीं आये । पत्रावली का अवलोकन किया गया । उपलब्ध दस्तावेजों का मनन किया । प्रकरण अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट का है । तहसीलदार कामां को लिखा जावे कि दोनों पक्षो में उपस्थिति में विवादित खसरा नम्बर 77 रकवा 0.08वाके ग्राम गुरीरा के पैमायश कर सीमाकंन करना तथा पक्षकारान को हिदायत दी जावे कि अपनी अपनी आराजी पर काबिज रह कर काश्त करना उचित समझते हैं ।।

अतः आदेश है कि –

वाद वादीगण का डिक्री किया जाता है कि तहसीलदार कामां दोनों पक्षो में उपस्थिति में विवादित खसरा नम्बर 77 रकवा 0.0.8वाके ग्राम गुरगुरिया की पैमाइश कर सीमाकंन करें । तथा पक्षकारान अपनी अपनी आराजी पर काबिज रह कर काश्त करें । इस आश्य की डिक्री तैयार कर तहसीलदार कामां को भेजा जावे । प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो ।

(सुरेश कुमार यादव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, कामां

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

प्रपत्र–5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ...

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :– .....

उनवान

..... बनाम .....

दावा बावत.....

मुकदमा नम्बर :–

निर्णय दिनांक :–

वादी की ओर से.....की व प्रतिवादी की ओर से.....

की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख.....को .....(नाम पीठासीन अधिकारी)

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर.....के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर

आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

.....

.....

.....

.....

.....

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख.....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

( )

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन

सहायक कलक्टर.....

हस्ताक्षर
सदस्य बैच

हस्ताक्षर
सदस्य बैच

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया		रूपया
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	2	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
3. प्रदर्शो के लिये स्टाम्प		अर्जी के लिये स्टाम्प	
4. .....रूपये पर प्लीडर की फीस	2	प्लीडर की फीस	
5. साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
6. कमीश्नर की फीस		कमीश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील		आदेशिका की तामील	
जोड	4	जोड	

हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी